रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2014/श्रावण 2, 1936
No. 382] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2014/SHRAVANA 2, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 532(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56, धारा 64, धारा 88 की उप-धारा (14) और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, ऐसे किन्ही आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा;

3. इन प्रारूप नियमों पर आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये नियम उनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 62 के उपनियम (1) के परंतुक की सारणी में 'स्टीयरिंग गियर' और उससे संबंधित प्रविष्टियां मद के पश्चात निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

	"रियर अंडर रन संरक्षक युक्ति (आरयूपीडी)	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नियम 124 (1क) के अनुसार
	पार्श्व संरक्षण साइड	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नियम 124 (1क) के अनुसार"

[फा. सं. आरटी-11028/07/2014-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण:—मूल नियम सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं. सा.का.नि. 431(अ), तारीख 4 जुलाई, 2014 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2014

G.S.R. 532 (E).—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Sections 56, 64, sub-section (14) of Section 88 and Section 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the notification is published are made available to the public.

2. Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

3. Objection or suggestion, if any, to these draft rules may be addressed to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, New Delhi-110001.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 62, in sub-rule (1), in the proviso, in the Table, after the item 'Steering gear' and the entries relating thereto, following item and entries shall be inserted at the end, namely:—

	"Rear Under run Protecting Device (RUPD)	Yes	Yes	Yes	No	No	As per rule 124 (1A)
	Lateral Protection side	Yes	Yes	Yes	No	No	As per rule 124 (1A)."

[F. No. RT-11028/07/2014-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published *vide* number G.S.R. 590 (E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* number G.S.R. 431(E), dated 4th July, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.